**भारत सरकार**

**आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय**

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न सं. 2063**

**31 जुलाई, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए**

**लैंड पूलिंग नीति और दिल्ली मास्टर प्लान 2041**

†2063. **श्री योगेन्द्र चांदोलिया:**

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंत्रालय दिल्ली में मास्टर प्लान 2041 और लैंड पूलिंग नीति को लागू करने की योजना बना रहा है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) दिल्ली में मास्टर प्लान 2041 और लैंड पूलिंग नीति की अधिसूचना और कार्यान्वयन के लिए क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है;

(ग) दिल्ली में उक्त योजना और नीति के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(घ) क्या सरकार ने इस योजना और नीति के कार्यान्वयन के संभावित लाभों और चुनौतियों की पहचान करने के लिए कोई अध्ययन या आकलन किया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) दिल्ली में मास्टर प्लान 2041 और लैंड पूलिंग नीति के कार्यान्वयन के संबंध में नागरिकों, डेवलपर्स और अन्य इच्छुक पक्षों सहित हितधारकों की चिंताओं और शिकायतों को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं?

**उत्तर**

**आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री**

**(श्री तोखन साहू)**

(क) और (ख) दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 के प्रावधानों के अनुसार मंत्रालय द्वारा अंतिम अधिसूचना के अनुमोदन और उसे जारी करने के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) द्वारा दिल्ली मुख्य योजना (एमपीडी)-2041 के प्रारूप दस्तावेजों को अनुलग्नकों के साथ दिनांक 13.04.2023 को मंत्रालय को भेज दिया गया है। एमपीडी-2041 का प्रारूप एक नीति फ्रेमवर्क दस्तावेज़ है जो दिल्ली के भविष्य के नियोजित विकास का मार्गदर्शन करता है, यह प्रारूप

पिछली योजनाओं के कार्यान्वयन से प्राप्त अनुभवों पर आधारित है। दस्तावेज़ में कई जटिल मुद्दे शामिल हैं जिनके लिए विस्तृत विश्लेषण और स्टेकहोल्डर परामर्श अपेक्षित है जो वर्तमान में चल रहा है। एमपीडी-2041 के प्रारूप दस्तावेज़ को अंतिम रूप देना एक समय लेने वाली प्रक्रिया है। चूंकि यह मामला अत्यंत महत्वपूर्ण है, अतः इसे अंतिम रूप देने को अधिक प्राथमिकता दी जा रही है।

जहां तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली में लैंड पूलिंग नीति का संबंध है, सरकार ने दिनांक 05.09.2013 को सां.आ. 2687 के माध्यम से भूमि नीति 2021 को अधिसूचित किया था, इसके बाद संशोधित नीति को दिनांक 11.10.2018 को सां.आ. 5220 (ई) के माध्यम से अधिसूचित किया गया था और भूमि नीति के संचालन के लिए विनियमों को दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 57 के तहत दिनांक 24.10.2018 को सां.आ. 5384 के माध्यम से डीडीए द्वारा अधिसूचित किया गया था।

इस नीति का सफल कार्यान्वयन भूमि मालिकों की स्वैच्छिक भागीदारी के साथ-साथ कंसोर्टियम, कंटिग्यूटी आदि के गठन जैसी बाधाओं को दूर करने पर निर्भर करता है।

(ग) एमपीडी-2041 का कार्यान्वयन एमपीडी-2041 के प्रारूप को अंतिम रूप दिए जाने और अधिसूचित किए जाने के बाद शुरू किया जाएगा। लैंड पूलिंग नीति के प्रभावी कार्यान्वयन और भूस्वामियों के बीच जागरूकता पैदा करने तथा लैंड पूलिंग को सुगम बनाने के लिए, डीडीए द्वारा अब तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के लैंड पूलिंग क्षेत्रों में 26 फील्ड कैंप आयोजित किए जा चुके हैं।

इसके अतिरिक्त, डीडीए ने एक एसओपी विकसित किया है जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के राजस्व जिलों के राजस्व प्राधिकारियों द्वारा भूमि अभिलेखों के ऑनलाइन सत्यापन की सुविधा प्रदान करने के लिए एक तंत्र प्रदान करता है। इसके साथ ही, डीडीए ने उन मामलों में, जहाँ बिना कंटिग्यूटी के 70% भूमि पूलिंग हो चुकी है, सन्निहित भूमि की भूमि पूलिंग के स्तर को बढ़ाने के लिए कंसोर्टियम गठन की शुरुआत हेतु 15 अनंतिम नोटिस जारी किए हैं।

(घ) दिल्ली में एम.पी.डी.-2041 और लैंड पूलिंग नीति के कार्यान्वयन के संभावित लाभों और चुनौतियों की पहचान करने के लिए कोई अलग अध्ययन या मूल्यांकन नहीं किया गया है।

(ड.) एम.पी.डी.-2041 का कार्यान्वयन इसकी अंतिम अधिसूचना के बाद विभिन्न सेवा प्रदाता एजेंसियों/स्थानीय निकायों के माध्यम से किया जाएगा।

दिल्ली मुख्य योजना (एमपीडी)-2041 के प्रारूप की तैयारी के दौरान, सभी शहरी स्थानीय निकायों, विभिन्न केंद्रीय और राज्य सरकार विभागों के साथ परामर्श किया गया, और इसके साथ ही आम जनता, प्रोफेशनल निकायों, आरडब्ल्यूए/फेडरेशन, गैर सरकारी संगठनों, जन प्रतिनिधियों आदि के साथ सार्वजनिक परामर्श किया गया।

साथ ही, एमपीडी-2041 का प्रारंभिक प्रारूप जनता से आपत्तियां/सुझाव आमंत्रित करने के लिए 75 दिनों के लिए सार्वजनिक डोमेन में रखा गया था। सार्वजनिक नोटिसों के प्रत्युत्तर में,

लगभग 34000 आपत्तियां/सुझाव प्राप्त हुए और उन्हें जांच एवं सुनवाई बोर्ड (बीओईएच) के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया।

लैंड पूलिंग नीति के संबंध में, कंसोर्टियम, कंटिग्यूटी आदि के गठन जैसी बाधाओं का ध्यान रखा जा रहा है।

*****